न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(1) अपील संख्या :– 89 / 2011 (धारा 76 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2011/00040)

1. गोपी पुत्र श्री बादाम जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. नत्थन पुत्र श्री भोंदू जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. समुन्दर पुत्र श्री गिर्राज गूजर निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............असल रैस्पोडेन्टस

3. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............तरतीवी रैस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर निर्णय 5.7.2011 उनवान गोपी बनाम तहसीलदार डीग व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 17.8.2006 ग्राम जटेरी तहसील डीग ख0नं0 14 / 1, 15 / 1 गै0मु0 पहाड वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग।

(2) अपील संख्या :– 90 / 2011 (धारा 76 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2011/00043)

1. गोपी पुत्र श्री बादाम जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. नत्थन पुत्र श्री भोंदू जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. राममूर्ति पुत्र श्री गिर्राज गूजर निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............असल रैस्पोडेन्टस

3. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............तरतीवी रैस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर निर्णय 5.7.2011 उनवान गोपी बनाम तहसीलदार डीग व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 17.8.2006 ग्राम जटेरी तहसील डीग ख0नं0 14 / 1, 15 / 1 गै0मु0 पहाड वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग।

(3) अपील संख्या :– 91 / 2011 (धारा 76 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2011/00045)

1. गोपी पुत्र श्री बादाम जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. नत्थन पुत्र श्री भोंदू जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.............**अपीलान्टस**

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. फत्ते पुत्र श्री गिर्राज जाति गूजर निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............**असल रैस्पोडेन्टस**

3. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............**तरतीवी रैस्पोडेन्टस**

द्वितीय अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर निर्णय 5.7.2011 उनवान गोपी बनाम तहसीलदार डीग व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 17.8.2006 ग्राम जटेरी तहसील डीग ख0नं0 14/1, 15/1 गै0मु0 पहाड वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग।

<u>(4) अपील संख्या :– 92/2011 (धारा 76 भू राजस्व अधि01956) **(R.C.M.S . no 2011/00042)**</u>

1. गोपी पुत्र श्री बादाम जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. नत्थन पुत्र श्री भोंदू जाति कुम्हार निवासी जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.............**अपीलान्टस**

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. छत्तरसिंह | पिसरान श्री लटूर जाति गूजर निवासी जटेरी तहसील डीग
3. करतारसिंह | जिला भरतपुर।

...............**असल रैस्पोडेन्टस**

4. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

...............**तरतीवी रैस्पोडेन्टस**

द्वितीय अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर निर्णय 3.8.2011 उनवान गोपी बनाम तहसीलदार डीग व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 17.8.2006 ग्राम जटेरी तहसील डीग ख0नं0 14/1, गै0मु0 पहाड वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग।

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 26.09.2019

यह अपीलें अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर निर्णय दिनांक 5.7.2011 एवं 3.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार डीग की आज्ञा दिनांक 17.8.2006 के द्वारा **नामा0 सं0 421** से आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 समुन्दरसिंह पुत्र गिर्राजसिंह तथा **नामा0 सं0 416** से आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 रामपूर्ति पुत्र गिर्राज तथा **नामा0 सं0 420** से आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 फत्ते पुत्र गिर्राज तथा **नामा0 सं0 412** से ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 1.60 वहक रैस्पो0 छत्तरसिंह, करतारसिंह पिसरान लटूर के नाम स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.7.2011 एवं दिनांक 3.8.2011 पारित करते हुये यह माना कि चूंकि उक्त चारों नामान्तरकरण आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत हुये है जब तक रैस्पो0 के हक में आवंटन आदेश प्रभावी है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण में कोई अनियमितता नहीं रहती है लिहाजा चारों अपीलें खारिज की गई। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपीलें पेश की गई है। उपर्युक्त चारों अपीलों में समान पक्षकार एवं समान प्रकृति होने के कारण उक्त चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने मैरिट पर बहस नहीं सुनी है केवल प्रारम्भिक आपत्ति पर ही बहस सुनी है और फायनल निर्णय कर दिया है जो गलत है। क्यों कि रैस्पो0 को जो आवंटन पूर्व में जिला पुर्नवास अधिकारी कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर भरतपुर द्वारा 1.9.1983 व 30.8.1983 को आराजी गैर मुमकिन पहाड बाबत किये गये थे उनको जिलाधीश कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर ने दिनांक 31.1.1986 को निरस्त कर दिया था और दिनांक 31.1.1986 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी प्रथम एवं अधिकृत सेटिलमेन्ट कमिश्नर राज0 जयपुर के समक्ष रैसपोडेन्ट के द्वारा अपील की थी । जिन्हौने दिनांक 18.2.2007 को को स्वीकार कर जिलाधीश कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर भरतपुर का आदेश दिनांक 31.1.1986 निरस्त कर प्रकरण वापिस प्रेषित किया गया था तथा यह भी आदेश दिये थे कि आवंटन दिनांक 30.8.1983 व 1.9.1983 जो कस्टोडियन भूमि थी यदि कस्टोडियन भूमि के आवंटन के आवंटी पात्र है तो उनके पक्ष में आवंटन की कार्यवाही की जावे। जिलाधीश कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर भरतपुर ने इस आदेश की पालना में प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर डीग को दिनांक 13.12.1998 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये परन्तु तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर डीग ने चीफ सेटिलमेन्ट कमिश्नर राज0 जयपुर के निर्णय की कोई दिनांक 13.12.1988 से लेकर सन्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2003 तक कोई पालना नहीं की। यह कि 15 साल तक तहसीलदार कम मेनेजिंग आफिसर डीग ने कोई पालना नहीं की तो 13 आवंटियों ने माननीय उच्च न्यायालया खण्ड पीठ जयपुर में जो रिट याचिका संख्या 1288/2003 दायर की उसमें भी कोई आदेश 13 आवंटियों के पक्ष में आवंटन हेतु नहीं दिया गया। परन्तु जब तहसीलदार कम मेनेजिंग आफिसर व जिलाधीश कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर भरतपुर द्वारा रिट पर भी कोई कार्यवाही नहीं की तो आवंटियों ने अवमानना याचिका 1268/2003 प्रस्तुत की जिस पर रैस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार डीग व जिलाधीश ने अवमानना के दण्ड से बचने के लिये आनन फानन में बिना आवंटन नियमों पर गौर किये शुरू से ही बोइड ऐवन्शयू आवंटन आदेश दिनांक 8.2.2004 को आराजी मुतदाविया का रैस्पोडेन्टस को आवंटन कर दिया। अवमानना कार्यवाही में अण्डरटेकिंग देने का अर्थ यह नहीं है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर दिनांक 8.2.2004 को रैस्पोडेन्ट के हक में गैर मुमकिन पहाड का आवंटन कर दें और उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 421, 416, 420, 412 स्वीकृत कर दें। रैस्पोडेन्टस के हक में गलत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत हुये है। दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति जिस आवंटन आदेश को आधार बनाया गया है वह प्रारम्भ से ही शून्य है क्यों कि धारा 16 आर टी एक्ट के अंतर्गत कोई भी गै0मु0 पहाड की भूमि का आवंटन ही नहीं किया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। तहत अदालत ने अपीलाधीन गलत तथ्यों पर पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। तहसीलदार कम मेनेजिंग आफिसर डीग द्वारा जिस विवादित आराजी का रैस्पो0 के हक में आवंटन किया है वह भूमि आवंटन योग्य नहीं है क्यों कि वह गै0मु0 पहाड है जो धारा 16 आरटीएक्ट के तहत प्रतिबन्धित है। जिस पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं है। जिलाधीश कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर ने अपने आदेश दिनांक 31.1.1986 में यह भी माना था कि आवंटित भूमि कस्टोडियन भूमि नहीं है तो ऐसी सूरत में भी तहसीलदार डीग द्वारा दिनांक 8.2.2004 को आवंटन करना स्वतः ही अवैध एवं शून्य है क्यों कि राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के आंवटन नियम 1970 के तहत केवल कमेटी को ही आवंटन का अधिकार है तहसीलदार उस कमेटी का केवल एक मेम्बर होता है। तहसीलदार डीग को गै0मु0 पहाड को पहिले कस्टोडियन मानकर आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं था जब आवंटन ही विधि विरूद्ध है तो उनके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण स्वतः ही विधि विरूद्ध हो जाते है। अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर ने दिनांक 5.7.2011 व 3.8.2011 जो निर्णय किये है उनमें केवल प्रारम्भिक आपत्ति पर ही अपील को नोन मेन्टेनेबिल मानकर रैस्पोडेन्ट की आपत्ति स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई है जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश मनमाने तरीके पारित किया गया है। इस प्रकार चारों अपीलों में कानूनी बिन्दु एक ही होने के कारण अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के आदेश व तहसीलदार डीग द्वारा दर्ज किये गये दाखिला खारिज रैस्पोडेन्ट के हक में किये गये है वह शुरू से ही वातिल व वेअसर होने के कारण काबिले खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 5.7.2011 व 3.8.2011 निरस्त किये जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 421, 416, 420, 412 निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.2011 व 3.8.2011 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि चारो नामान्तरकरण आवंटन आदेश दिनांक 8.2.2004 की अनुपालना में खोले गये है । आवंटन आदेश दिनांक 8.2.2004 आज तक बदस्तूर है जिसे अपीलान्ट ने आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अतिरिक्त कलक्टर ने इसी कानूनी बिन्दु को अपीलाधीन आदेश में मनन किये जाने के उपरान्त स्पष्ट किया है कि मूल आवंटन आदेश बदस्तूर रहते हुये आवेटन आदेश की अनुपालना में खोले गये दाखिला खारिज को निरस्त नहीं किया सकता। इसी अधार पर अपीलान्ट की अपीलें खारिज की गई है। जिसकी द्वितीय अपील श्रीमान जी के समक्ष है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 774 में तय किया है कि किसी आदेश की अनुपालना में खोले गये दाखिल खारिज को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह कि अपीलान्ट का यह कथन कि आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण आवंटन आदेश की अपील करने की आवश्यकता नहीं है रिकार्ड के विपरीत है। आवंटन आदेश के खिलाफ पूर्व में भी अपीलान्ट द्वारा अपीलें की गई थी, जो हाई कोर्ट से रिमाण्ड होकर पुनः तहसीलदार डीग के न्यायालय में प्रस्तुत हुई और तहसीलदार डीग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में आवंटन आदेश जारी किया है। अपीलान्ट ने आज दिनांक तक उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की है। इस कारण भी आवंटन आदेश के बदस्तूर रहते हुये उस आज्ञा की अनुपालना में मंजूर किये गये दाखिला खारिज को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील अपीलान्ट काबिल मंसूखी है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि संगत होने के कारण यथावत रखा जाकर अपीलान्ट की उक्त चारो अपीलें आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटी0 नं0 1268/03 प्रताप व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2003 एवं कन्टेम्प संख्या 377/03 में पारित आदेश दिनांक 19.1.2004 की पालना में तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफिसर डीग द्वारा आदेश क्रमांक 685 दिनांक 8.2.2004 के द्वारा ग्राम जटेरी में रैस्पोडेन्टस के हक में आवंटन आदेश जारी किया गया है। जिसकी पालना में नामा0 सं0 421 आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 समुन्दरसिंह पुत्र गिर्राजसिंह तथा नामा0 सं0 416 आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 रामपूर्ति पुत्र गिर्राज तथा नामा0 सं0 420 आ0ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 0.40, ख0नं0 15/1 रकबा 1.98 में से 0.40 वहक रैस्पो0 फत्ते पुत्र गिर्राज तथा नामा0 सं0 412 ख0नं0 14/1 रकबा 13.51 में से 1.60 वहक रैस्पो0 छत्तरसिंह, करतारसिंह पिसरान लटूर के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त चारों नामान्तरकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या कमशः 421, 416, 420, 412 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह हुक्मन आदेश की पालना में स्वीकृत हुये है। जो विधिसंगत रहते है। इसके विपरीत हुकमन आदेश अर्थात आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त आवंटन आदेश के वर्तमान में आस्तित्व में बने रहने पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सके। प्रकरण में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उक्त चारों नामान्तरकरण हुक्मन आदेश दिनांक 8.2.2004 की पालना में खोले गये है। जब तक रैस्पोडेन्टस के हक में आवंटन आदेश प्रभावी रहता है तब तक उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरणों में कोई विधिक त्रुटी नहीं रहती है। तहत अदालत ने इस तथ्य की ताईद करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित रहता है। इसके अलावा नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें हकूकों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। अतः तहत अदालत द्वारा उक्त चारों अपीलों में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.2011 एवं 3.8.2011 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह अपीलें खारिज योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.2011 एवं 3.8.2011 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official